20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

76

न्यायालयः राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 2772 - I-16

प्रकरण कमांक /   / I / 2016 निगरानी

मंगू पुत्र भाकरदास जाति सहर, निवासी ग्राम

सेडपुर तहसील कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

............निगरानीकर्ता

दिनांक 16.8.16 को श्री वीरसिंह जादौन अधि. द्वारा प्रस्तुत। 16.8.16

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

.............गैरनिगरानीकर्ता

SO निगरानी विरूद्व प्रकरण कमांक 15 / 15–16 / स्वमेव निगरानी अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्व

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी का संक्षिप्त में विवरण :–

ग्राम शेडपुर में स्थित भूमि सर्वे कं. 54 / 1 रकबा 1.254हे. एवं सर्वे नम्बर 59 / 1 रकबा 1.881 हे. पर आवेदक करीबन 15–20 वर्षो से निरंतर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा था, उसने अपने कब्जे के आधार पर ग्राम की उक्त भूमि पर नामांतरण हेतु श्रीमांन तहसीलदार महोदय कराहल के समक्ष कब्जे के आधार पर नामांतरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार महोदय कराहल द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुऐ विचरण प्रारम्भ किया और अपने न्यायालयीन प्र.कं. 39 / 2012–13 / अ–6 पर दर्ज करके आदेश दिनांक 03.05.13 से प्रार्थी के हित में नामांतरण स्वीकार किया गया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदयं श्योपुर के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 13.02.14 कमांक / जॉच / प्रतिवेदन / 2014 / 143 श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष 61 लोगों के रूिद्व प्रतिवेदन भेजा गया जो अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17.02.14 को रीडर 2 के लिये मार्क किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 28.03.16 को प्रकरण प्रारम्भ किया गया जो प्रतिवेदन प्राप्त होने के करीबन 02 वर्ष 01 माह बाद प्रकरण सुनवाई में लिया गया

कमंशः.............2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2772—एक/2016 जिला—श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
14—2—19	आवेदक के अधिवक्ता श्री वीर सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 15/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 25.7.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	